

आदेश पत्रक

राक

से

वाद सं० 21 सन् 2023-24

अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी रद्दीकरण वाद BLR Act 1950 की धारा 4(H)

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश की क्र०
सं० और तारीख

3

2

1

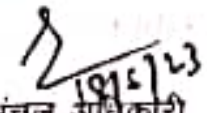
12-05-2023

आवेदक हेमन्त कुमार पिता स्व० यदुनन्दन साव ग्राम चमातु थाना बालूमाथ जिला लातेहार के द्वारा आवेदन प्राप्त है। आवेदन पत्र मौजा चमातु के सी०एस० खाता सं० 140 प्लॉट सं० 1814/A, 1814/B, 1815/A, 1775/A, 1775/B, 1775/C, 1775/D रकबा क्रमशः 0.29, 0.21, 0.28, 0.27, 0.47, 1.05, 0.29 कुल रकबा 2.86 एकड़ एवं हाल सर्वे खाता सं० 213 प्लॉट सं० 2466, 2351, 2319, 2284, 2288, 2287 रकबा क्रमशः 0.50, 0.28, 0.27, 0.47, 0.05, 0.29 का कुल रकबा 2 ए० 86 डी० भूमि से संबंधित है।

आवेदक का कहना है कि उपरोक्त भूमि इनके पिता यदुनन्दन साव को तत्कालीन जामींदार मुलन सिंह पिता स्व० नागेश्वर सिंह के द्वारा जमींदारी हुकुमनाम द्वारा वर्ष 1941 कत प्राप्त है। जामींदारी उन्मुलन के पश्चात वर्ष 1955-56 से 2011-12 तक आवेदक के पिता के नाम अंचल कार्यालय बालूमाथ से ऑफलाईन लगान रसीद निर्गत है। आवेदक द्वारा हाल सर्वे खाता सं० 213 प्लॉट सं० 2466, 2351, 2319, 2284, 2288, 2287 रकबा क्रमशः 0.50, 0.28, 0.27, 0.47, 1.05, 0.29 का कुल रकबा 2 ए० 86 डी० GM भूमि का लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक द्वारा उक्त भूमि के दावा समर्थन में निम्न दस्तावेज संलग्न किया गया है:-

1. जामींदारी हुकुमनामा, 2. जामींदारी लगान रसीद, 3. अंचल कार्यालय बालूमाथ से निर्गत ऑफलाईन लगान रसीद, 4. बन्दोबस्ती केश सं० 11/1994-95 से प्राप्त पर्चा।

क्र. सं. तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	मौजा चगातु के सी०एस० खाता सं० 140 प्लॉट सं० 1814/A, 1814/B, 1815/A, 1775/A, 1775/B, 1775/C, 1775/D रकबा क्रमशः 0.29, 0.21, 0.28, 0.27, 0.47, 1.05, 0.29 कुल रकबा 2.86 एकड़ एवं हाल सर्वे खाता सं० 213 प्लॉट सं० 2466, 2351, 2319, 2284, 2288, 2287 रकबा क्रमशः 0.50, 0.28, 0.27, 0.47, 1.05, 0.29 का कुल रकबा 2 ए० 88 डी० भूमि से संबंधित सभी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कायम जमाबंदी अवैध/संदेहास्पद है। अतः BLR Act 1950 की धारा 4(H) के तहत याद आरंभ की जाती है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>1.6.23</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, बालूमाथ। 1-06-2023 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित पदाधिकारी के आगे सरकारी कार्य में हजेरा रहे के कारण काद की सुनवाई नहीं हो रही। अभिलेख दिनांक 16-06-23 से उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, बालूमाथ।	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अतिरिक्त उपस्थिति में आवेदन के आवेदन पत्र कार्यवाही कर दी गई है। वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी है।

अंचल प्रशासकी
आतंत्र्य